पुलिस आदेश सं० 206 /88

यह शिकायत सुनने में आई है कि सामान्य थानों में हरिजनों/आदिवासियों के [illegible] नहीं लिए जाते हैं और अगर वे सूचना देने थाने पर जाते हैं तो उन्हें हतोत्साहित भी [illegible] जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि हरिजनों/आदिवासियों के मामले में यदि मुनासिब कार्रवाई की भी जाती है तो ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिससे इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का स्पष्ट रूप से पता चल सके । इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि सभी थानों में एक रजिस्टर रखा जाय जिसका नाम हरिजन/आदिवासी शिकायत रजिस्टर होगा । इसमें निम्न-लिखित बातें दर्ज की जायेगी :-

[illegible] सं०	वादी का नाम एवं पूरा पता	स्टेशन डायरी संख्या तिथि एवं समय	कब और क्यों कार्रवाई की गई	जाँचकर्त्ता का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5

[illegible] काण्ड अंकित किया गया हो तो [illegible] संख्या एवं उसका [illegible] विवरण/ वैसे सभी [illegible] का विवरण [illegible] काण्ड अंकित नहीं [illegible] गया हो ।	थाना से दूरी एवं दिशा ।	काण्ड का पर्यवेक्षण की तिथि, पर्यवेक्षण कर्त्ता का नाम एवं पदनाम/ जाँच की तिथि ।	कितने केस हरिजनों के पक्ष में गये कितने विपक्ष में । जाँच के आधार पर की गयी कार्रवाई	अंतिम [illegible] समर्पित की [illegible] एवं [illegible] जाँच के संबंध में [illegible] सूचनायें ।
6	7	8	9	10

2. इस पंजी का निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय आरक्षी निरीक्षक प्रत्येक महीने में एवं [illegible] क्षेत्रीय उपाधीक्षक प्रत्येक त्रैमासिक में एक बार निश्चित रूप से करेंगे ।

[illegible]

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

ज्ञाप सं० [illegible] /पी। [illegible] 2903

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार ।

पटना, दिनांक 12 जुलाई, 1988.

प्रतिलिपि:-

सभी महानिरीक्षक/ सभी क्षेत्रीय महानिरीक्षक / अध्यक्ष, आरक्षी भवन निर्माण [illegible] सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/ अपराध अनुसंधान विभाग/ खुफिया शाखा / प्रशिक्षण/ रेलवे / [illegible] पुलिस उच्चारी/ दक्षिणी / सभी आरक्षी अधीक्षक/रेलवे सहित/ अपराध अनुसंधान विभाग [illegible] खुफिया शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

[illegible]

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

[illegible]/12788